रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 16, 2016/पौष 26, 1937
No. 133] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 16, 2016/ PAUSA 26 , 1937

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2016

का. आ. 149(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद इसमें 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय, सिटी सत्र न्यायालय, कोलकाता को दिनांक 29 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र, असाधारा भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का. आ. (अ) के द्वारा विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार दार्जिलिंग, जलपाईगुडी तथा कूच बिहार जिलों को छोड़कर शेष संपूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य था।

और, जबकि, श्री असोक कुमार मण्डल, मुख्य न्यायाधीश, सिटी सत्र न्यायालय, कोलकाता, जिन्हें दिनांक 16 जुलाई, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड- (ii) में प्रकाशित दिनांक 16 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1591 (अ) के द्वारा उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं ;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 16 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1591 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने के लिए छोड़ दिया गया था, कोलकाता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्रीमती सुर्वा घोष, मुख्य न्यायाधीश, सिटी सत्र न्यायालय, कोलकाता को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV (भाग-5)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2016

S.O. 149(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S. O. 952 (E) dated the 29th April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th April, 2011, notified the Court of the Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act having Jurisdiction extending the State of West Bengal except the Districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Bihar for the trial of schedule offences;

And whereas, Sri Asoke Kumar Mondal, Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S. O. 1591 (E), dated 16th July, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 16th July, 2012, has retired after attaining the age of superannuation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S. O. 1591 (E), dated the 16th July, 2012, except as regard to things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Calcutta, hereby appoints Smt. Surva Ghosh, Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.IV (Part-5)]
M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.